कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील क्रमांक/वि.अ./252/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी।

दिनांकः— 11.11.2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन के आदेश क्रमांक जांच/2025/ Rajkaj Ref. दिनांक 02.04.2025 जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणाम स्वरूप एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक जांच/2025/Rajkaj Ref. No 13838741 दिनांक 26.02.2025 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी को निम्न आरोपों से आरोपित किया गयाः–

आरोप संख्या–1

यह है कि श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में कार्यरत है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संस्था/2025/Rajkaj Ref. No/13224936 दिनांक 27.01.2025 द्वारा आवंटित कार्य वसूली प्रकरण से संबंधित डाक आवक– जावक शाखा प्रभारी द्वारा आप कार्मिक के समक्ष सुपुर्द करने हेतु पेश की गई, परंतु आप द्वारा उक्त डाक लेने से इन्कार किया गया। इस आरोप से आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या –2

यह है कि श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में कार्यरत है। आरोप संख्या 01 में वर्णित आवंटित कार्य से संबंधित डाक/पत्र प्राप्त नहीं किया गया। जिससे उक्त महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। अतः उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना हुई है। इस आरोप से आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या– 3

यह है कि श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में कार्यरत है। इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या जांच/2024/ Rajkaj Ref. No/13357965 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा आपके विरूद्ध राजस्थान सिविली सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर निम्न आरोप से आरोपित किया गया। ज्ञापन में अधिरोपित आरोपों को जांच के दौरान सही पाया गया है। उक्त कार्यवाही लम्बित होने के दौरान ही आप द्वारा बार–बार राजकार्य में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा आदतन रूप से राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता बरती जाती है। इस आरोप से आपको आरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के दण्डादेश दिनांक 02.04.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा, यह अपील प्रस्तुत कर दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी से संबंधित अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरोप विरचित किये गये है। अपीलार्थी ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 24.03.2025 निर्धारित की गई। अपीलार्थी दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 22.03.2025 तक चिकित्सकीय परामर्श पर अवकाश पर था, इस कारण आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन नहीं कर सका। अतः जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिये जाने का अनुरोध किया। इस क्रम में उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा दिनांक 25.03.2025 को पत्र के माध्यम से 26.03.2025 निर्धारित की एवं अनुरोध अनुसार 15 दिवस के स्थान पर मात्र एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया, जो कि मात्र खानापूर्ति को दर्शाता है कि अपीलार्थी को अतिरिक्त समय दे दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के पत्र दिनांक 25.03.2025 के क्रम में पुनः अनुरोध किया कि जवाब प्रस्तुत करने के लिये यह अत्यंत ही न्यून समय है, साथ ही जवाब प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाहने बाबत भी अनुरोध किया।

अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय को यह भी ज्ञात था कि अपीलार्थी अस्वस्थता के कारण दिनांक 22.03.2025 तक अवकाश पर है। इसके उपरांत भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2025 निर्धारित कर दी। अतः प्रार्थी के पास जवाब प्रस्तुत करने के लिये मात्र 2 कार्य दिवस ही थे, इतनी कम अवधि में नकलें प्राप्त करना, दस्तावेंजों का अवलोकन कर जवाब प्रस्तुत किया जाना संभव नही था। प्रार्थी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की नकल चाहने बाबत भी दिनांक 25.03.2025 को निवेदन किया, परंतु नकलें उपलब्ध नहीं करवाई गई, ना ही पत्रावलियों का अवलोकन करवाया गया। इसके पश्चात् दिनांक 28.03.2025 को मेरे इस प्रार्थना पत्र पर ही नोट अंकित कर दिया गया कि "पर्याप्त समय दिया जा चुका है निर्णय निर्देशानुसार लिखकर पेश करें"। इसके बाद स्थापना शाखा के बाबू ने निर्णय टाईप कर प्रस्तुत कर दिया। उपरोक्त समस्त घटनाक्रम के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के लिये ना तो नकलें उपलब्ध करवाई गई, ना ही सुनवाई का पर्याप्त समय दिया गया। इससे साबित होता है कि उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा व्यक्तिगत द्वेषतापूर्ण भावना रखते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के दण्डादेश दिनांक 02.04.2025 को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपों के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

अपीलार्थी ने अवगत कराया कि आरोप पत्र मे यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि कौनसा पत्र लेने से इन्कार किया गया है। केवल यह अंकित है वसूली प्रकरण से संबंधित पत्र लेने से इन्कार किया है। उक्त पत्र उन्हें 25.02.2025 को ही प्राप्त हो गये थे तथा उसी दिन पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिया गया था। साथ ही अपीलार्थी ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व लिपिक से उन्हें नवीन कार्य संबंधी पत्रावलियों का चार्ज भी नहीं मिला था। आरोप पत्र में भी स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है कि कौनसा पत्र विशेष लेने से इन्कार किया है? पत्र की महत्वता क्या थी? पत्र का कोई कमांक दिनांक भी अंकित नही किया गया है। पत्र नहीं लेने के कारण कौनसा कार्य बाधित हुआ है? केवल मात्र एक लिपिक द्वारा नोटशीट पर लिखकर दे देने से कि डाक लेने से इन्कार कर दिया गया है, के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा चार्जशीट जारी कर दी। आरोप में उस पत्र का संक्षेप में अंकन होना चाहिये था। दूसरी ओर अपीलार्थी को वॉछित प्रतिलिपियां भी उपलब्ध नहीं करवाई गयी, ना ही पत्रावलियों का अवलोकन करवाया गया। इस कार्यवाही के अभाव में उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा अपीलार्थी से आरोप पत्र के समुचित जवाब की अपेक्षा किया जाना अधिकारी की कार्यशैली को संदेह की सीमा में लाता है।

इसी प्रकार आरोप संख्या 03 भी दस्तावेजों के आधार पर नहीं होकर प्रतीत होने अथवा संभावना पर अधारित है। जबकि जांच प्रक्रिया के प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेखित है कि आरोप पत्र पूर्णरूपेण दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होना चाहियें, ताकि आरोपित को उसकी प्रतिलिपि चाहने पर उपलब्ध करवाई जा सके। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित अपील पर आधारित बिन्दुवार टिप्पणी में बिन्दु संख्या 07 में अंकित किया है कि शिकायत की प्राथमिक जांच कर कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। हमारे द्वारा समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया, परंतु सम्पूर्ण पत्रावली में कही भी प्राथमिक जांच रिपोर्ट नहीं पाई गई। इसी प्रकार नोटशीट, जो कि ऑफलाईन चलाई गई है, उसमें भी कही प्राथमिक जांच किये जाने का उल्लेख नहीं है। नोटशीट के पैरा 1 में केवल सूरजमल कुमावत, कनिष्ठ लिपिक की शिकायत है। पैरा 3 में आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। पैरा 6 में निर्णय कर दिया गया है। शिकायतकर्ता से इसकी जानकारी लेना कि कौनसा पत्र नहीं लिया जा रहा है? प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्त करना, अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना, किसी प्रकार के पत्र व्यवहार की कोई टिप्पणी नोटशीट पर नहीं है। दिनांक 26.02.2025 को राजकीय अवकाश के दिन एक विभागीय जांच प्रकरण में दण्डित किया गया है एवं उसी दिन दूसरी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। ऐसी कौनसी विवशता/आवश्यकता थी कि अवकाश के दिन दण्डादेश पारित किया गया एवं नई विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई। विभागीय जांच पत्रावली में ज्ञापन, आरोप पत्र ऑनलाईन दिया गया है। पत्रादि भी ऑनलाईन दिये गये है, परंतु नोटशीट ऑफलाईन चलाई गई है। यह प्रक्रिया भी विभागीय कार्यवाही सम्पादन में संदेह उत्पन्न करती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, जिला डीडवाना–कुचामन द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जांच/2025/ Rajkaj Ref. दिनांक 02.04.2025 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णयादेश की प्रति संबंधित अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर